प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।

#### सेवा में,

- 1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त मुख्य विकास अधिकार, उत्तर प्रदेश।
- 3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या—6/1061/2021—6/223/2020 लखनऊः दिनांकः 🛮 🗷 अक्टूबर, 2021 विषय—15वें वित्त आयोग(केन्द्रीय वित्त आयोग) के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपमोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1717/33—3—2021—33/2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 15वें वित्त आयोग(केन्द्रीय वित्त आयोग) के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया शासनादेश में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का नियमानुसार अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार

९ पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या—६//०६/ /२०२१ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1-अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त सहायक विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश।

(राज कुमार) निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०। प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में.

1- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश। 2— समस्त जिलाधिकारी, जत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुमाग-3

लखनऊ : दिनांक-७७ अक्टूबर, 2021

विषय:-15वें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपमोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्ष 2021–2026 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—15(2)एफ0सी0—एक्स0पी0/एफ0सी0डी0/2020—25, दिनांक—14.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग वर्ष 2021—26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दिए गए है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बेसिक ग्राण्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत हिस्सा टाइड ग्राण्ट (30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन, वाटर रिसाइक्लिंग एवं 30 प्रतिशत ओठडी०एफ0 sustainability हेतु) एवं 40 प्रतिशत अनटाइड ग्राण्ट के रूप में अनुमन्य की गई है। तत्क्रम में पंचायतीराज मंत्रालय मारत सरकार के पत्रांक—एम0— 11015/ 404/2020—एफ0डी0, दिनांक—23.08.2021 द्वारा अनटाइड ग्राण्ट के व्यय के सम्बन्ध में मार्ग—निर्देश सिद्धान्त निर्धारित किये गये है तथा जल शक्ति मंत्रालय के पत्रांक— डब्ल्यू०—11042/52/2020—जेठजे०एम0—॥,— डी०डी०डब्ल्यू०एस0, दिनांक—25.08.2021 के द्वारा टाइड ग्राण्ट व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त दिशा—निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित धनराशि इन्हीं निर्देशों के तहत किया जाना है।

3-gE0K

DD(P)

2- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला:-

2.1— पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

2.2 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

2.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बंटवारा भी जनपद की ग्राम पंचायतो व क्षेत्र पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

Maral -

# 3- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड एवं अनटाइड ग्राण्ट के उपमोग हेतु दिशा निर्देश:-

- (3.1) टाइड ग्राण्ट के उपमोग हेतु अनुमन्य कार्यों का विवरण:-
- 3.1.1 The tied grant can be used for:
- a.) supply of drinking water, rainwater harvesting and water recycling, and
- b.) Sanitation, maintenance of ODF status, and man agement and treatment of household waste including plastic waste, human excreta, gray water and faecal sludge.

The RLBs shall, as far as possible, earmark one half of the tied grant to each of these two critical services. However, if any RLB is fully saturated the need under one category and does not require funds for that purpose, it can utilize the funds for the other category. For example, if a local body has provided drinking water supply to every house hold in the area of its jurisdiction, it can utilize the funds for sanitation and vice versa. The concerned village assembly/Gram Sabha shall certify this, and it will be duly confirmed by the supervising authority of the Panchayat or the State Government. In case, residents / households within a village/Gram Panchayat/Block do have access to drinking water due to efforts of State/Central Government /various schemes implemented in the past, such Panchayats may utilize the funds on other subcomponents like strengthening / augmentation of drinking water sources, provision of drinking water for the livestock, gray water treatment, rain water harvesting, water recycling / rejuvenation of water bodies in addition to maintaining existing water supply infrastructure.

- **3.1.2** Apart from the households, Gram Panchayats are to ensure the provision of potable water supply and sanitation services in public institutions like schools . , GP buildings , public places like weekly haat / market , mela ground , bus stand , playground / sports complex , etc. Gram Panchayats must focus on greywater treatment , reuse and ensure that untreated greywater is not released in water bodies or rivers.
- 3.1.3 The 15th Finance Commission has not distinguished between operation & maintenance ( O & M ) and capital expenditure within the categories of tied grant . It is for the RLBs to ensure that funds are first allocated and utilized towards creating infrastructure , usage and management arrangements for drinking water and sanitation services .Over the years RLBs can enter into O & M contracts / arrangements to ensure that benefits of improved drinking water and sanitation are realized on a sustainable basis . RLBs at block and district level, however can allow reverse pooling of funds available with them to District Unit of the State Nodal department to achieve economies of scale and utilize funds for strengthening service delivery ( segregation of water and sanitation activities ).
- 3.1.4 However, it is advised that the cost of technical and administrative support should not exceed 10 % of the allocation to the RLBs under tied grant, and the expenditure can be incurred only by the RLB concerned (GP / Block Panchayat / District Panchayat ).

Horaf

3.1.5 The interest accrued in the savings bank accounts of the Panchayats / traditional bodies for the 15th Finance Commission tied grant is a part of the closing balance as on a particular date / year. Therefore, available combined balance, including the interest accrued, constitutes the opening balance for the subsequent year, which need not be transferred back. Funds devolved to any local body are to be utilized as per the guidelines issued on the subject from time to time and it applies to the interest part also.

3.1.6 During the 15th Finance Commission award period, if certain RLBs are converted into Urban Local Bodies (ULBs), for example, Gram Panchayats into Town Panchayats, the converted RLB's unspent funds under the 15th Finance Commission tied grant at the time of such conversion should be returned to the State Government. The amount so collected should be added in the State - level 15th Finance Commission tied grant received by the State in the subsequent financial year and redistributed among the then existing RLBs.

## 3.2 बेसिक (अनटाइस) ग्राण्ट के उपमोग हेतु अनुमन्य कार्यों का विवरण:--

The FC - XV has recommended 40 % of the allocation as Basic Grants ( Untied ) to Rural Local Bodies ( RLBs ) The items of works / activities that may be taken up with the Basic ( Untied ) Grants include :/

Activities relating to the National priority areas of Health, Education and Nutrition in consultation with the respective State Departments /immunization of children /prevention of malnutrition of children :/construction and repair of Gram Panchayat Bhawans ; / construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat ( GP )/ and inter GP : construction and repair of foot paths within GP and /inter GP : construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system) - within GP and inter GP; / acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial grounds :/construction , repair and maintenance of crematorium ;/ providing sufficient and high bandwidth Wi - Fi digital network services within GP :/ public library:/ recreation facilities including children's park . playground , rural haat , sports & physical fitness equipment etc. and any other basic improved / enhanced service mandated by State Government under relevant State legislations; / recurring expenditure for electricity, manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential ( within 10 % limit ) ;/ immediate relief work in the event of natural disasters / pandemic; / discharge of responsibilities specifically mandated to Panchayats under various Acts / Laws e.g.

preparation and updation of People's Biodiversity Register (PBR) under Biodiversity Act, 2002.

RLBS can enter into Annual Maintenance Contracts Service contracts for providing the services to rural residents. However, expenditure from the Grants on the negative list, namely, expenditure on items already being funded from other schemes.

Haraf

felicitation cultural functions / decorations / Inaugurations , Honorarium , TA / DA of elected representatives and salaries honorarium of existing employees / permanent and contract ; doles / awards , entertainment , purchase of vehicles and air - conditioners are not allowed under this component .

It may also be mentioned that the above items of expenditure are indicative. The Basic (Untied) Grants under FC -XV can be utilized by the local bodies for improving basic services in rural areas, except for salaries and other establishment costs. The expenditure required for auditing of accounts by external agencies including social audit approved by the State Government, however, may be borne from this grant.

4- अनटाइड / टाइड ग्राण्ट हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की अईता:-

4.1 अनटाइड एवं टाइड ग्राण्ट हेतु पात्र होने के लिए सम्बन्धित ग्रामीण स्थानीय निकाय को अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के खातों का ऑडिट (प्रोवीजनल) और गत वर्ष के पूर्व वर्ष के अभिलेखों का पूर्ण ऑडिट अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शतों के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

4.2 टाइड ग्राण्ट हेतु पात्र होने के लिए उस वर्ष की स्वच्छता एवं पेयजल सम्बन्धी वार्षिक एक्शनप्लान, जी०पी०डी०पी०/बी०डी०पी०/डी०पी०डी०पी० डी०डी०डब्ल्यू०एस० द्वारा

निर्घारित प्रारुप पर ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड होने चाहिए।

4.3 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपमोग प्रमाण पत्र वेबसाईट पर अपलोड करना होगा।

### ्र तकनीकी एवं प्रशासनिक मद

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार संस्तुत बेसिक (अनटाइड) ग्रान्ट एवं टाइड ग्राण्ट की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक—एम0 11015/404/2020—एफ0डी0, दिनांक—23.08.2021 में दिये गये मार्ग—निर्देशों के अनुसार व्यय प्रशासनिक मद की धनराशि द्वारा मंत्रालय के 14वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में इंगित किए गए विषयों/मदों पर किया जाएगा। उक्त मदों का

विवरण संलूग्नक-1 पर है।

पूर्व से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) में कार्यरत आई०टी० कन्सल्टेन्ट, लेखाकार, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, खण्ड प्रेरक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि के रूप में लगभग 3852 (संलग्नक-2) कर्मियों द्वारा तकनीकी एवं अन्य प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली (टाइड व अनटाइड ग्राण्ट) कुल धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर नोडल खाता संख्या—39430719992 आई०एफ०एस०सी० SBIN0006144 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि का आवश्यकतानुसार वितरण राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर प्राप्त की जा रही सेवाओं के लिए किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक मद की 1 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धी खाते का संचालन निम्नवत् किया जायेगा:—

Haraf

क्रणसंव	विवरण	खाते के संचालन हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी
1	जनपद स्तर	
72		मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी
2	मण्डल स्तर	मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) एवं कार्यालय सहायक
3	राज्य स्तर	निदेशक पंचायतीराज व नोडल अधिकारी वित्त आयोग

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली 1 प्रतिशत धनराशि एवं वार्षिक कार्मिकों के सेवाओं की आवश्यकता एवं व्यय का आंकलन कर निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा वार्षिक व्यय की अनुमित शासन से प्राप्त की जायेगी।

#### 6— <u>पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व</u> भुगतान के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश:—

- 6.1 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक—डब्ल्यू—11042/52 /2020— जे0जे0एम0 II—डी0डी0डब्ल्यू०एस0, दिनांक—25.08.2021 में संलग्न दिशा—निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में गठित पेयजल एवं स्वच्छता समिति प्रत्येक पेयजल प्रयोग करने वाले घर से एवं पेयजल शुल्क की वसूली करेगी एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन और पृथकीकरण के कार्य के लिए भी मासिक शुल्क वसूल करेगी और इसके लिए दीर्घकालीन परियोजना लागू होने तक 15वें वित्त आयोग की धनराशि पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों पर व्यय की जा सकती है। बचत खाते में प्राप्त होने वाला व्याज तत्कालीन वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग बैलेंश का भाग माना जायेगा।
- 6.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पंचवर्षीय विलेज एक्शन प्लान (वी०ए०पी०) जो 15वें वित्त आयोग के पूरे समय के लिए लागू होगा।
- 6.3 समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के ई—ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।
- 6.4 समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15 वित्त आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर प्लान अपलोड करेंगी।
- 6.5 तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—1838 / 33—3—2015—03 / 2015, दिनांक—31.07.2015 में प्राविधानित व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेंगी।
- 6.6 15वें वित्त आयोग की धनशशि के व्यय के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या—30/2020/1597/33—3—2020—33/2020, दिनांक—29.06.2020, संख्या—34/2020/1817/33—3—2020—33/2020, दिनांक—24.07.2020, संख्या—1017/33—3—2020—11/2020, दिनांक—16.06.2020 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा।
- 6.7 आवंटित धनराशि का व्यय उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य निर्गत वित्तीय निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए। व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—4 / 2018 / आर०जी०—1021 / 10 / 2018—मित0—1 / 2017, दिनांक—18.09. 2018 का पालन किया जायेगा।



उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों . के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह) 7.10 2/ अपर मुख्य सचिव।

#### संख्या व दिनांक:- तदैव।

#### प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली!
- 2. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
- 7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।
- 9. नोडल अधिकारी, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ट, उ०प्र०।
- 10. नोडल अधिकारी, वित्त आयोग / उपनिदेशक (पं०), पंचायतीराज निदेशालय उ०प्र०।
- 11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
- 12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ०प्र०।
- 13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 14. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), उ०प्र०।
- 15. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, उ०प्र०।
- 16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से; (गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।